

तीसरी अनुसूची

(धारा 71 की उप धारा (1) देखे)

ऐसे मामलों के सम्बन्ध में, जिससे द्वीप परिषद प्राधिकृत होगी, ताकि यह स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करने में सक्षम होती।

1. स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में :—

- (क) महामारियों पर नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और अनुरक्षण;
- (ख) परिवार नियोजन;
- (ग) शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना;
- (घ) औषधालयों, दवाखानों, प्रसूति घरों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अनुरक्षण;
- (ङ) स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित पद्धतियों पर विचार :—
 - (i) पोषाहार;
 - (ii) मृत्युत्त्वता और बाल कल्याण;
 - (iii) संक्रामक रोगों पर नियंत्रण तथा रोकथाम;
- (च) महामारियों के खिलाफ लोगों को सहायता तथा सुरक्षा उपलब्ध कराना।

2. संचार के क्षेत्र में :—

- (क) ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण और अनुरक्षण;
- (ख) ग्रामीण पहुँचमार्ग के निर्माण तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना।

3. मिडिल तथा माध्यमिक शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में :—

- (क) शैक्षणिक संस्थानों का दौरा;
- (ख) पूछताछ के लिए उपस्थिति तथा अन्य रजिस्टरों की जाँच तथा शैक्षणिक कमियों तथा गाँव की आवश्यकताओं पर संबंधित प्राधिकारियों को रिपोर्ट देना;
- (ग) मिडिल तथा माध्यमिक विद्यालयों के वार्षिक बजट पर सिफारिशों प्रस्तुत करना;
- (घ) ग्राम परिषद को प्रदत्त शैक्षिक संस्थानों के निर्माण तथा मरम्मत कार्य;
- (ङ) विद्यार्थियों की नियमिताओं, शिक्षकों की उपस्थिति और विद्यालय कार्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

4. सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में :—

लोगों को स्वावलम्बी, उद्योगी तथा सहयोगी मानसिकता वाले बनाने के लिए उनके बीच नई दृष्टिकोण पैदा करने तथा विशेष रूप से :—

- (क) सूचना केन्द्रों, सामुदायिक शिक्षा केन्द्रों और आमोद-प्रमोद केन्द्रों की स्थापना तथा अनुरक्षण;
- (ख) सामाजिक सेवा प्रदान करने के लिए युवा कलब, महिला कलब तथा कृषक संगठन जैसे संस्थानों की राशिगणना शैर्ज पर्वते पर्याप्त और अभियानों को समर्पण करना।